

सहायक कलेक्टर भरतपुर, भरतपुर

प्रकरण सं. दावा / 137 / 2016

दर्ज दिनांक:—06.09.2016

1. श्री निवास पता—

.....प्रार्थी

बनाम

2. मानसिंह पता—

.....अप्रार्थीगण

उपस्थित:

ओम प्रकाश कर्दम

प्रार्थी अभिभाषक

अप्रार्थी अभिभाषक

निर्णय

दिनांक:—23.05.2018

आज यह पत्रावली राजस्व लोक अदालत / कैम्प कोर्ट चिकसाना पर पेश। पत्रावली का अवलोकन किया। पटवारी की मौका/जांच रिपोर्ट ली गई जो शामिल पत्रावली है। मौके पर सार्वजनिक प्रयोजनार्थ व जन हितार्थ आंगनवाडी केन्द्र, आर.ओ. प्लान्ट व पानी की टंकी बनी हुई है। उक्त निर्माण काफी पुराना है। धारा 188 आर.टी.ए. के दावा लाते समय खातेदार का कब्जा काशत वाद ग्रस्त आराजी पर होना आवश्यकशर्त है। जैसी कि माननीय राजस्व मण्डल अजमेर ने अपने विभिन्न न्यायिक दृष्टांतो में प्रतिपादित किया है।

उपरोक्त विवेचन के मध्येनजर दावा वादीगण स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।

अतः आज्ञा है कि:—

दावा वादीगण खारिज किया जाता है। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार हाकर बाद तकमील दा.द. हो।

(PUSHKAR KUMAR MITTAL)

सहायक कलेक्टर भरतपुर, भरतपुर

